न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव (आर. ए. एस.)

नं. मु. :– 125/2026

निर्णय दिनांक :– 2/5/2026

बाली पत्नी मानाराम मेघवाल पुत्री नारायणराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम अमरसर , हाल निवासी ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू

............वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, बीदासर (चुरू)।
2. अन्नी पत्नी नारायणराम जाति मेघवाल निवासीनी अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
3. ईमरताराम पुत्र पुरखाराम जाति मेघवाल निवासी अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
4. खेमी पत्नी आसुराम जाति मेघवाल निवासीनी अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
5. चैना पुत्री नारायणराम जाति मेघवाल निवासी अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
6. जोगाराम पुत्र सुगनाराम जाति मेघवाल निवासी अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
7. डूंगरराम पुत्र सुगनाराम जाति मेघवाल निवासी अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
8. तीजू पुत्री नारायणराम जाति मेघवाल निवासीनी अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
9. धुड़ी पत्नी सुगनाराम जाति मेघवाल निवासीनी अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
10. पुराराम पुत्र सुगनाराम जाति मेघवाल निवासी अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
11. भागुराम पुत्र आसुराम जाति मेघवाल जाति मेघवाल निवासी अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
12. भानीराम पुत्र आसुराम जाति मेघवाल निवासी अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
13. मगनाराम पुत्र पुरखाराम जाति मेघवाल निवासी अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
14. मंगलाराम पुत्र आसुराम जाति मेघवाल निवासी अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
15. मोहनराम पुत्र आसुराम जाति मेघवाल निवासी अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

16.रूखड़ी पुत्री नारायणराम जाति मेघवाल निवासी अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।

17.रामलाल पुत्र सुगनाराम जाति मेघवाल निवासी अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।

18.शाखा प्रबंधक महोदय, पंजाब नेशनल बैंक शाखा सुजानगढ़।

.......प्रतिवादीगण

राजस्व वाद वास्ते घोषणात्मक एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम एवं

136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955"

निर्णय

उपस्थित :–

1. हनुमान प्रसाद एडवोकेट वास्ते प्रार्थी
2. सलमान खान भूट्टा एडवोकेट वास्ते अप्रार्थी संख्या 2,5,8,9,10,13,14,15
3. पैरोकार राज वास्ते अप्रार्थी संख्या 01

प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी के संयुक्त खातेदारी का एक खेत खसरा संख्या 474 तादादी 12.2290 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम अमरसर पटवार हल्का अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादीनी का 1/25 हिस्सा भूमि निहित है। जिसके खातेदारी रिकॉर्ड में वादीनी का बोलता नाम बलूड़ी पुत्री नारायणराम जाति मेघवाल अंकित हो रखा है, जबकि वादीनी का सही पूर्ण एवं दस्तावेजी नाम बाली पुत्री नारायणराम पत्नी मानाराम मेघवाल जाति मेघवाल निवासीनी अमरसर है। वादीनी के नाम से आधार कार्ड, नरेगा कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, बैंक पास बुक बड़ोदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा साण्डवा़ में वादीनी का नाम बाली पत्नी मानाराम मेघवाल जाति मेघवाल अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी का नाम बलूड़ी पुत्री नारायणराम व अन्य समस्त दस्तावेजों में वादीनी का नाम बाली पुत्री नाराणराम पत्नी मानाराम मेघवाल जाति मेघवाल अंकित होने के कारण वादीनी को बैंक ऋण लेने व सरकारी योजना का अनुदान प्राप्त करने में परेशानी हो रही है। इसलिए वादीनी के लिए यह आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय के मार्फत राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम बलूड़ी पुत्री नारायणराम की जगह अपना सही, पुर्ण एवं शुद्ध दस्तावेजी नाम बाली पुत्री नारायणराम पत्नी मानाराम मेघवाल जाति मेघवाल का संशोधन राजस्व रिकॉर्ड में कराये।

वादीनी का गलत चला आ रहा नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। राजस्व वाद राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन का है तथा वादगत खेत रोही अमरसर पटवार हल्का अमरसर तहसील बीदासर में स्थित है। इसलिए प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमानुजी के

उपखण्ड अधिकार
बीदासर (चूरू)

न्यायालय को प्राप्त है आदि आदि अंकित कर राजस्व वाद को स्वीकार करने का निवेदन किया।

राजस्व वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तामील प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार बीदासर ने अपना लिखित में जवाब पेश किया जिसमें वादीनी का नाम शूद्ध एवं पूर्ण किया जाना उचित बताया है। प्रतिवादी संख्या 3,4,6,7,11,12,16,17 व 18 बावजूद तामील न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं आये जिनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई और प्रतिवादी संख्या 2,5,8,9,10,13,14,15 की और से स्वयं और अपने अधिवक्ता श्री सलमान खान भूट्टा की और से इकबाल जवाब पेश किया गया जिसमें वादीनी के नाम संशोधन कर शुद्ध एवं पुर्ण किया जाना को उचित बताया है वादीनी ने न्यायालय के समक्ष अपने राजस्व वाद के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात आधार कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, बैंक पास बुक बड़ोदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा साण्डवा, नरेगा कार्ड आदि में वादीनी का नाम बाली पुत्री नारायणराम पत्नी मानाराम मेघवाल जाति मेघवाल अंकित है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी का नाम बलूड़ी पुत्री नारायणराम जाति मेघवाल अंकित है। हमने पत्रावली का भलीभांति ध्यानपुर्वक अवलोकन किया। वकील वादीनी और प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली पर आये दस्तावेजों को बगौर से देखा। प्रकरण राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्धी से सम्बन्धित है, तथा आवश्यक प्रकृति का है और वादीनी द्वारा प्रतिवादियों के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहना जाहिरा प्रकट किया है, तथा उपस्थित प्रतिवादियों द्वारा वादीनी द्वारा चाहे गए अनुतोष से किसी प्रकार का उजर होना प्रकट नहीं किया है। वादीनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, बैंक पास बुक बड़ोदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा साण्डवा, नरेगा कार्ड आदि में वादीनी का नाम बाली पत्नी मानाराम मेघवाल जाति मेघवाल अंकित है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी का नाम बलूड़ी पुत्री नारायणराम जाति मेघवाल अंकित है जिसको वादीनी के अन्य दस्तावेजो के आधार पर शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों की विवेचना के आधार पर रोही ग्राम अमरसर पटवार हल्का अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू के खेत खसरा संख्या 474 तादादी 12.2290 हैक्टेयर में वादीनी का नाम बलूड़ी पुत्री नारायणराम जाति मेघवाल को संशोधित किया जाकर उसके स्थान पर वादीनी का दस्तावेजी शुद्ध एवं पूर्ण नाम **बाली पुत्री नारायणराम पत्नी मानाराम मेघवाल जाति मेघवाल** दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। निर्णय आज दिनांक 21/5/2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड
अधिकारी (बीदासर